स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या–८८९ /xxxi(15)G/01सू0 अधि0/2023
देहरादून, दिनांक 02 जून, 2023

श्री नदीम उददीन (एडवोकेट),
कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां,
काशीपुर, ऊधमसिंहनगर 244713

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 26.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– आपके द्वारा अपने सूचना अनुरोध पत्र में 05 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यालय में रक्षित/धारित सूचना आपको निम्नवत् निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैः–

<table>
<tr><th>बिंदु कमांक</th><th>आवेदन पत्र में वांछित बिंदुवार सूचना का विवरण</th><th>उपलब्ध करायी जा रही सूचना का विवरण</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों में वर्तमान में लागू भोजनावकाश के समयों का विवरण, सम्बन्धित नियमावली व शासनोदशों की सत्यापित फोटो प्रतियों सहित।</td><td>शासनादेश सं0994/xxxi(13)G/2015 दिनांक 04.01.2006 की सत्यापित प्रति (परिशिष्ट–01)</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों में वर्तमान में लागू प्रशासनिक अधिकारियों के जनता से मिलने के समयों का विवरण, सम्बन्धित नियमावली व शासनादेशों की सत्यापित फोटो प्रतियों सहित।</td><td>शासनादेश सं0 478(i)/xxxi(15)G/2009 दिनांक 30. 06.2009 की सत्यापित प्रति (परिशिष्ट–07)</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनता के टेलीफोन उठाने सम्बन्धी निर्देशों का विवरण, सम्बन्धित नियमावली व शासनादेशों की सत्यापित फोटो प्रतियों सहित।</td><td rowspan="2">बिन्दु संख्या 3 व 4 के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 264(i)/xxxi(13)G/23 दिनांक 17.02.2023 की सत्यापित प्रति (परिशिष्ट–03)</td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनता के टेलीफोन उठाने सम्बन्धी निर्देशों का विवरण, सम्बन्धित नियमावली व शासनादेशों की सत्यापित फोटो प्रतियों सहित।</td></tr>
</table>

4.5	उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति का समय बढ़ाने के लिये वी0आई0पी0 के स्वागत आदि हेतु प्रोटोकाल अधिकारियों की नियुक्त तथा इससे सम्बन्धित निर्देशों का विवरण, सम्बन्धित शासनादेशों की सत्यापित फोटो प्रतियों सहित।	प्रश्नगत बिंदु की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित न होने के कारण वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, प्रोटोकाल विभाग को आपका अनुरोध पत्र अन्तरित किया जा रहा है।

3- यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो निम्नवत् पते पर प्रथम अपीलीय अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत अपील कर सकते है।

श्री अनूप कुमार मिश्रा,
उप सचिव/विभागीय अपीलीय अधिकारी,
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।
फोन नं0 9927699116
ई-मेल- gadukgovt@gmail.com

(हरदयाल बुड़ाकोटी)
अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन
9927699345

(परिशिष्ट-1)

संख्या – 994/XXXI(13)G/2005

प्रेषक,

एम.रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

2. मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांकः 04 जनवरी, 2006

विषयः– सरकारी कार्यालयों में मध्याह्न भोजन का समय निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या– 2102/तीन–90–55जी/1958–सा0 प्र0 अनु0 दिनांक 25 जुलाई, 1990 (जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है) द्वारा सरकारी कार्यालयों में मध्याह्न भोजन के समय निर्धारण एवं प्रकिया के बारे में विस्तृत आदेश जारी किये गये थे।

2. शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि इन आदेशों के अनुरूप कार्यालयों में मध्याह्न भोजन के समय एवं इसके उपभोग के बारे में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे आम जनता को कार्यालयों में आने पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्यालयों में मध्याह्न भोजनावकाश हेतु निम्न प्रकिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- मध्याह्न भोजन का समय 1.00 बजे अपरान्ह से 2.30 बजे अपरान्ह के मध्य केवल आधे घन्टे का होगा और इस अवधि में ही प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी मध्याह्न भोजन के लिए जायेगें।

- सचिवालय में अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी एवं अन्य समस्त कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक और जहां इस नाम से अधिकारी न हो वहां पर उनसे वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के आधे घन्टे के मध्याह्न भोजन का समय इस प्रकार निर्धारित करेगें कि एक बार में

सत्यापित
लोक सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

लगभग एक तिहाई ही कर्मचारी मध्याह्न भोजन पर जायें। जहां पर एकल अधिकारी एवं एकल कर्मचारी ही हों वहां पर वे आपस में मध्याह्न भोजन का समय इस प्रकार तय करेंगे कि उनमें से एक कार्यालय में अवश्य उपस्थित रहे। मध्याह्न भोजन की विभिन्न अवधियों में जाने वाले कर्मचारियों की सूची विभाग में टाँगी जाय।

- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागों एवं कार्यालयों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
(एम रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

संख्या – 994(1)/XXXI(13)G/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल, सेक्टर–1, सी–10, डिफैन्स कोलोनी, देहरादून को उनके पत्र संख्या– 60/मु.सू.आ./2005, दिनांक 3.12.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने नियंत्रणाधीन विभागों में मध्याह्न भोजन के समय को उपरोक्तानुसार निर्धारित करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
4. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय नैनीताल को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही के लिए प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

लोक सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

आज्ञा से,
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।